न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 106 / 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 260
दायर दिनांक :– 13.07.2023 निर्णय दिनांक :– 28.04.2026

1. मूलाराम पुत्र पदमाराम जाति भील निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी

वादी–

बनाम

1. मोहनराम पुत्र कालूराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2. पूंजाराम पुत्र गुणेशाराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
3. आसूराम पुत्र हरचन्दराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुगनी पत्नी हरचन्दराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
5. कस्तुराराम पुत्र कालूराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
6. घेवरराम पुत्र कस्तुराराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
7. दीपाराम पुत्र गुणेशाराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
8. मूलाराम पुत्र दीपाराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण–

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 262 / 3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि सहरद मौजा बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर पीढियों से वादी का नक्शा लट्ठा में अंकित तरमीम अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का खेती कर पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादी भू–नक्शा में तरमीम अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ग्राम अखाधना के मूल निवासी है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिकारों की भूमि ग्राम अखाधना में स्थित है और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का उक्त भूमि किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 वादी के पड़ोसी ही है। वादी की खातेदारी भूमि का मूल खसरा नम्बर 262 जो कि सरकारी भूमि है इसलिये प्रतिवादीगण उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा करने की नियत से वादी की खातेदारी भूमि पर भी खेती नहीं करने दे रहे है। अभी दिनांक 23.06.2023 को वादी अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त कर के लिये सूड़ निकाल रहा था तभी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 वादी की खातेदारी में आये और वादी की भूमि पर कब्जा करने लगे और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने वादी को धमकी दी कि

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हम तुम्हे तुम्हारी खातेदारी भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल कर देगें। उस दिन तो वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को समझा बुझा कर निकाल दिया लेकिन जाते हुवे वादी को धमकी दी कि आइन्दा पुनः आकर हम तुम्हारी खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो वादी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। वादी गरीब एवं असहाय है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर भू–नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार वादी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तनकीयात कायम कर शामिल पत्रावली की गई। वादी के बयान पी–डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई

हमने अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि सहरद मौजा बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि को वादी ने जरिये पंजीबद्ध बख्शीसनामा के प्राप्त की थी और संलग्न नजरी भू–नक्शा अनुसार वादी का मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादी ने संलग्न नजरी भू–नक्शा अनुसार भूमि पर खूंटे रोप कर तारबन्दी कर रखी है। वादी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। मूल खसरा नम्बर 262 राजकीय भूमि है जो वादी की खातेदारी के पास है। उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वादी की भूमि पर कब्जा करने को उतारू है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी सं. 1 ता 8 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि सहरद मौजा बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि को वादी ने जरिये

Satya.
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पंजीबद्ध बख्सीशनामा अपने पिता से प्राप्त की है। जमाबंदी सम्वत 2078–2081 के खाता संख्या 71 में वादग्रस्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी की खातेदारी अधिकारों एवं तरमीम शुदा भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के विरूद्व जारी की जानी उचित समझते है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 262/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में वादी की खातेदारी तरमीम शुद्वा भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. मूलाराम पुत्र पदमाराम जाति भील निवासी हरिसिंहनगर तहसील बाप जिला फलोदी

वादी–

बनाम

1. मोहनराम पुत्र कालूराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
2. पूंजाराम पुत्र गुणेशाराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
3. आसूराम पुत्र हरचन्दराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुगनी पत्नी हरचन्दराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
5. कस्तुराराम पुत्र कालूराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
6. घेवरराम पुत्र कस्तुराराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
7. दीपाराम पुत्र गुणेशाराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
8. मूलाराम पुत्र दीपाराम जाति भील निवासी अखाधना तहसील बाप जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण–

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 106 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर देवीसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 262 / 3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में वादी की खातेदारी तरमीम शुद्वा भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.04.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च जो हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।